

बिन्दु	विवरण
2	3
1	विषयगत कार्यालय (ऑफिस) संगठन के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (ऑ0) स्तर-1 सि0वि0उ0प्र0, लखनऊ के अधीन है तथा वर्तमान में विश्व बैंक कालोनी परिसर, निकट पकरी का पुल, लखनऊ में स्थित है। इस कार्यालय के अन्तर्गत नलकूप अनुसंधान एवं नियोजन यूनिट-1, 2, 3 एवं 5 कार्यशील हैं जिनके द्वारा नलकूपों, लघु डाल नहरों, पम्प नहरों तथा निरीक्षण भवनों की परियोजनाओं का परीक्षण एवं नई परियोजनाओं के गठन का कार्य किया जाता है।
2	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य
1-अधीक्षण अभियन्ता	मण्डल के अधीनस्थ यूनिटों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण का कार्य।
2- कार्यालय अधीक्षक	कार्यालय के कार्यों का पर्यवेक्षण
3-वरिष्ठ सहायक	पत्रों के आलेख एवं प्रलेख का कार्य।
4-वरिष्ठ लिपिक	-तदैव-
5-कनिष्ठ लिपिक	कार्यालय में प्राप्त पत्रों को डायरी रजिस्टर में अंकन करना, पत्रों को बाहर प्रेषित करना तथा टंकण का कार्य।
6-आशुलिपिक	आशुलेखन का कार्य।
7-ड्राइंग स्टाफ	ड्राइंग सम्बन्धी कार्य का सम्पादन।
8-चतुर्थ श्रेणी	अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया से पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं।
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा सीपित मापमान
5	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख
6	ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं प्रवर्षों का विवरण
7	किसी व्यवस्था की विशिष्टियों जो उसकी नीति के संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान हैं।
8	ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं जिनका उसके भागरूप में या इस बार में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है की क्या उन बोर्डों परिषदों समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी।
9	अपने अधिकारियों / कर्मचारियों की निर्देशिका

अपने प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है।	पद	वेतनमान
	अधीक्षण अभियन्ता	15600-39100
	कार्यालय अधीक्षक	9300-34800
	आशुलिपिक	9300-34800
	वरिष्ठ सहायक	5200-20200
	वरिष्ठ लिपिक	5200-20200
	कनिष्ठ लिपिक	5200-20200
	संगणक	9300-39100
	प्रारूपकार	5200-20200
	चपरासी	5200-20200
	घावक	5200-20200
	चौकीदार	5200-20200
	वाटरमैन कम माली	5200-20200
11	सभी योजनाओं प्रस्तावित व्ययों द्वारा किये गये सविवरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अधिकरण को आवंटित बजट	अनुदान संख्या-95 के अन्तर्गत वेतन, मेंहगाई भत्ता, अन्य भत्ता, यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय आदि मदों में प्रमुख अभि० के कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक द्वारा बजट आवंटित होता है।
12	सहायिकी कार्यक्रमों निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदा ग्राहकों के ब्योरे सम्मिलित हैं।	लागू नहीं
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञा पत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं की विशिष्टियाँ।	लागू नहीं
14	किसी इलेक्ट्रानिक में सूचना के सम्बन्ध में ब्योरे जो उसके उपलब्ध हो या उसके धारित हो।	विभाग में कम्प्यूटर उपलब्ध है परन्तु कम्प्यूटर इंटरनेट से जुड़ा नहीं है।
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो कार्यकरण घण्टे सम्मिलित है।	भारत का कोई भी नागरिक वॉछित सूचना कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में नियमानुसार प्राप्त कर सकता है।
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ।	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत नलकूप अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल, लखनऊ के अधीनस्थ यूनिटों हेतु अपीलीय अधिकारी एवं जनसूचना अधिकारी का विवरण:- 1-अपीलीय अधिकारी-अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल, लखनऊ। 2-जनसूचना अधिकारी-अधिशासी अभियन्ता, नलकूप अनुसंधान एवं नियोजन यूनिट-1,


अधीक्षण अभियन्ता
नलकूप अनुसंधान एवं नियोजन मंडल
लखनऊ
दि. ०५/०५/२०२३